

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 मई 2013—वैशाख 11, शक 1935

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मई 2013

क्र. एफ 1-14-11-आठ.—यतः, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश परिवहन विभाग (राजपत्रित सेवा) भर्ती नियम, 2011 के अन्तर्गत, जो कि दिनांक 12 जुलाई 2011 से प्रवृत्त हुए हैं, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के कृत्यों तथा कर्तव्यों का संबंधित क्षेत्रों तथा जिलों में निर्वहन करने के लिए क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्तों के पद सृजित किये हैं :

अतएव, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस नियमित पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिरिष्टत करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए उसके (अनुसूची के) कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानीय जिलों को सम्मिलित करते हुए उसके कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट मुख्यालय पर, संबंधित संपूर्ण क्षेत्र तथा जिले में ऐसे प्राधिकारियों को, उक्त अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उसके कॉलम (1) में उल्लिखित एक अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में दो पदाधिकारियों से मिलकर बनने वाले क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी का गठन करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	क्षेत्र का नाम	क्षेत्र में सम्मिलित जिले	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)
1. क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, भोपाल संभाग—अध्यक्ष	भोपाल संभाग	राजस्व जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा	भोपाल
2. संभागीय राजस्व आयुक्त, भोपाल संभाग द्वारा नामनिर्देशित उपायुक्त (राजस्व)/संयुक्त/उप जिलाध्यक्ष—सदस्य			

(1)	(2)	(3)	(4)
3. संभागीय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, भोपाल संभाग द्वारा नामनिर्देशित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री—सदस्य			
1. क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, चम्बल संभाग—अध्यक्ष	चम्बल संभाग	राजस्व जिला श्योपुर, मुरैना, भिण्ड	मुरैना
2. संभागीय राजस्व आयुक्त, चम्बल संभाग द्वारा नामनिर्देशित उपायुक्त (राजस्व)/संयुक्त/उप जिलाध्यक्ष—सदस्य			
3. संभागीय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, चम्बल संभाग द्वारा नामनिर्देशित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री—सदस्य			
1. क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, ग्वालियर संभाग—अध्यक्ष	ग्वालियर संभाग	राजस्व जिला ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया.	ग्वालियर
2. संभागीय राजस्व आयुक्त, ग्वालियर संभाग द्वारा नामनिर्देशित उपायुक्त(राजस्व)/संयुक्त/उप जिलाध्यक्ष—सदस्य			
3. संभागीय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर संभाग द्वारा नामनिर्देशित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री—सदस्य			
1. क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, नर्मदापुरम (होशंगाबाद) संभाग—अध्यक्ष	नर्मदापुरम (होशंगाबाद) संभाग	राजस्व जिला बैतूल, होशंगाबाद, हरदा	नर्मदापुरम (होशंगाबाद)
2. संभागीय राजस्व आयुक्त, नर्मदापुरम (होशंगाबाद)संभाग द्वारा नामनिर्देशित उपायुक्त (राजस्व)/संयुक्त/उप जिलाध्यक्ष—सदस्य			
3. संभागीय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, नर्मदापुरम (होशंगाबाद) संभाग द्वारा नामनिर्देशित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री—सदस्य			
1. क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, इन्दौर संभाग—अध्यक्ष	इंदौर संभाग	राजस्व जिला इन्दौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर	इन्दौर
2. संभागीय राजस्व आयुक्त, इन्दौर संभाग द्वारा नामनिर्देशित उपायुक्त (राजस्व)/संयुक्त/उप जिलाध्यक्ष—सदस्य			
3. संभागीय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, इन्दौर संभाग द्वारा नामनिर्देशित अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री—सदस्य			

(1)	(2)	(3)	(4)
1. क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, जबलपुर संभाग— अध्यक्ष	जबलपुर संभाग	राजस्व जिला जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मण्डला, बालाघाट, डिण्डोरी	जबलपुर
2. संभागीय राजस्व आयुक्त, जबलपुर संभाग द्वारा नामनिर्देशित उपायुक्त (राजस्व)/संयुक्त/उप जिलाध्यक्ष— सदस्य			
3. संभागीय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, जबलपुर संभाग द्वारा नामनिर्देशित अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री— सदस्य			
1. क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, रीवा संभाग— अध्यक्ष	रीवा संभाग	राजस्व जिला रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना	रीवा
2. संभागीय राजस्व आयुक्त, रीवा संभाग द्वारा नामनिर्देशित उपायुक्त (राजस्व)/संयुक्त/उप जिलाध्यक्ष— सदस्य			
3. संभागीय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, रीवा संभाग द्वारा नामनिर्देशित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री— सदस्य			
1. क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, शहडोल संभाग— अध्यक्ष	शहडोल संभाग	राजस्व जिला शहडोल, उमरिया, अनूपपुर	शहडोल
2. संभागीय राजस्व आयुक्त, शहडोल संभाग द्वारा नामनिर्देशित उपायुक्त (राजस्व)/संयुक्त/उप जिलाध्यक्ष— सदस्य			
3. संभागीय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, शहडोल संभाग द्वारा नामनिर्देशित अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री— सदस्य			
1. क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, सागर संभाग— अध्यक्ष	सागर संभाग	राजस्व जिला सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़	सागर
2. संभागीय राजस्व आयुक्त, सागर संभाग द्वारा नामनिर्देशित उपायुक्त (राजस्व)/संयुक्त/उप जिलाध्यक्ष— सदस्य			
3. संभागीय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, सागर संभाग द्वारा नामनिर्देशित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री— सदस्य			
1. क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, उज्जैन संभाग— अध्यक्ष	उज्जैन संभाग	राजस्व जिला उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच	उज्जैन
2. संभागीय राजस्व आयुक्त, उज्जैन संभाग द्वारा नामनिर्देशित उपायुक्त (राजस्व)/संयुक्त/उप जिलाध्यक्ष— सदस्य			
3. संभागीय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, उज्जैन संभाग द्वारा नामनिर्देशित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री— सदस्य			

2. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिये न्यूनतम आवश्यक गणपूर्ति हेतु अध्यक्ष तथा (ऊपर अनुसूची में उल्लिखित एक सदस्य), ऊपर अनुसूची के कालम (1) में उल्लिखित सदस्यों में से एक सदस्य से होगी.

F -1-14-2011-VIII.—WHEREAS the State Government has created the posts of Regional Deputy Transport Commissioners for discharging the functions and duties of Regional Transport Authorities in the respective regions and districts under the Madhya Pradesh Transport Department (Gazettes Services) Recruitment Rule, 2011 which has come into force with effect from 12th July 2011.

NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (1), read with second proviso to sub-section (2) of Section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in super session of all the previous notifications issued on the in the behalf, the State Government hereby constitutes the Regional Transport Authority consisting of a Chairman and two Officials as Members, mentioned in column (1) of the Schedule below, for the region specified in column (2), and corresponding districts specified in column (3) with headquarters as shown in column (4) of the said Schedule to exercise the power and discharge the function and duties throughout the respective region and districts conferred by the said Act or any other Act on such authorities, namely :—

SCHEDULE

Regional Transport Authority	Name of the Region	Areas included in the Region	Head-Quarter of the Regional Transport Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Regional Deputy Transport Commissioner, Bhopal Division— Chairman	Bhopal	Revenue districts of Bhopal, Sehore, Raisen, Rajgarh and Vidisha.	Bhopal
2. Deputy Commissioner (Revenue)/Joint/Deputy Collector, nominated by the Divisional Revenue Commissioner, Bhopal Division— Member			
3. Superintending Engineer/Executive Engineer nominated by the Divisional Chief Engineer, public works Department Bhopal Division— Member			
1. Regional Deputy Transport Commissioner, Chambal Division— Chairman	Chambal	Revenue districts of Sheopur, Morena and Bhind.	Morena
2. Deputy Commissioner (Revenue)/Joint/Deputy Collector, nominated by the Divisional Revenue Commissioner, Bhopal Division— Member			
3. Superintending Engineer/Executive Engineer nominated by the Divisional Chief Engineer, public works Departments Division— Member			
1. Regional Deputy Transport Commissioner, Gwalior Division— Chairman	Gwalior	Revenue districts of Gwalior, Shivpuri, Guna, Ashoknagar and Datia.	Gwalior
2. Deputy Commissioner (Revenue)/Joint/Deputy Collector, nominated by the Divisional Revenue Commissioner, Bhopal Division— Member			

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Superintending Engineer/Executive Engineer nominated by the Divisional Chief Engineer, public works Department Gwalior Division— Member			
1. Regional Deputy Transport Commissioner, Narmadapuram (Hoshangabad) Division— Chairman	Narmadapuram (Hoshangabad)	Revenue districts of Betul, Hoshangabad and Harda.	Narmadapuram (Hoshangabad)
2. Deputy Commissioner (Revenue)/Joint/Deputy Collector, nominated by the Divisional Revenue Commissioner, Bhopal Division— Member			
3. Superintending Engineer/Executive Engineer nominated by the Divisional Chief Engineer, public works Department Narmadapuram (Hoshangabad) Division— Member			
1. Regional Deputy Transport Commissioner, Indore Division— Chairman	Indore	Revenue districts of Indore, Dhar, Alirajpur, Jhabua, Khargone, Badwani, Khandwa and Burhanpur.	Indore
2. Deputy Commissioner (Revenue)/Joint/Deputy Collector, nominated by the Divisional Revenue Commissioner, Bhopal Division— Member			
3. Superintending Engineer/Executive Engineer nominated by the Divisional Chief Engineer, public works Department Indore Division— Member			
1. Regional Deputy Transport Commissioner, Jabalpur Division— Chairman	Jabalpur	Revenue districts of Jabalpur, Katni, Narsinghpur, Chhindwada, Seoni, Mandla, Balaghat and Dindori.	Jabalpur
2. Deputy Commissioner (Revenue)/Joint/Deputy Collector, nominated by the Divisional Revenue Commissioner, Bhopal Division— Member			
3. Superintending Engineer/Executive Engineer nominated by the Divisional Chief Engineer, public works Department Jabalpur Division— Member			
1. Regional Deputy Transport Commissioner, Rewa Division— Chairman	Rewa	Revenue districts of Rewa, Singroli, Sidhi and Satna.	Rewa
2. Deputy Commissioner (Revenue)/Joint/Deputy Collector, nominated by the Divisional Revenue Commissioner, Bhopal Division— Member			

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Superintending Engineer/Executive Engineer nominated by the Divisional Chief Engineer, public works Department Rewa Division— Member			
1. Regional Deputy Transport Commissioner, Shahdol Division— Chairman	Shahdol	Revenue districts of Shahdol, Umaria and Anuppur.	Shahdol
2. Deputy Commissioner (Revenue)/Joint/Deputy Collector, nominated by the Divisional Revenue Commissioner, Bhopal Division— Member			
3. Superintending Engineer/Executive Engineer nominated by the Divisional Chief Engineer, public works Department Shahdol Division— Member			
1. Regional Deputy Transport Commissioner, Sagar Division— Chairman	Sagar	Revenue districts of Sagar, Damoh, Panna, Chhatarpur and Tikamgarh.	Sagar
2. Deputy Commissioner (Revenue)/Joint/Deputy Collector, nominated by the Divisional Revenue Commissioner, Bhopal Division— Member			
3. Superintending Engineer/Executive Engineer nominated by the Divisional Chief Engineer, public works Department Sagar Division— Member			
1. Regional Deputy Transport Commissioner, Ujjain Division— Chairman	Ujjain	Revenue districts of Ujjain, Dewas, Retlam, Shajapur, Mandsaur and Neemuch.	Ujjain
2. Deputy Commissioner (Revenue)/Joint/Deputy Collector, nominated by the Divisional Revenue Commissioner, Bhopal Division— Member			
3. Superintending Engineer/Executive Engineer nominated by the Divisional Chief Engineer, public works Department Ujjain Division— Member			

2. The minimum required quorum for a meeting of the Regional Transport Authority shall be the Chairman and (one member mentioned in the Schedule above) any one of the members mentioned in column (1) of the Schedule Supra

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, अपर सचिव.